

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 276/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

### मालाराम वगैरा बनाम भारस खां वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

उपस्थित प्रार्थीगण वकील - श्री ठाकराराम चौधरी

उपस्थित विप्रार्थीगण वकील - एकतरफा

**निर्णय**

**दिनांक - 04.04.2018**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित हुए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। सलंगन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस एवं सलंगन दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण मौजा मले का तला, पटवार हल्का बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 72 रकबा 23.05 बीघा, खसरा सं. 66 रकबा 27.00 बीघा, खसरा सं. 68 रकबा 31.10 बीघा भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की नेखमबन्दी करना न्यायोचित रहेगा।


अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा मले का तला, पटवार हल्का बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 72 रकबा 23.05 बीघा, खसरा सं. 66 रकबा 27.00 बीघा, खसरा सं. 68 रकबा 31.10 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।

कमीश्नर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा मले का तला, पटवार हल्का बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 72 रकबा 23.05 बीघा, खसरा सं. 66 रकबा 27.00 बीघा, खसरा सं. 68 रकबा 31.10 बीघा भूमि के पड़ोसी समस्त खातेदारों एवं पक्षकारों को नोटिस तामिल कराते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो विधिसम्मत तरीके से मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाने से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(भूपेन्द्र कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 413

प्रार्थीगण :-

1.मालाराम 2.फताराम 3.लूणाराम 4.भगाराम पि.  
रायमलराम 5.पारुदेवी पत्नि रायमलराम 6.जेताराम  
7.जुगताराम पि. रूपाराम जाति जाट  
निवासी मले का तला,  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

दिनांक 12/4/18

विप्रार्थीगण:-

1.भारस खां पुत्र मीठाखां 2.काम्भू पुत्र अहमद  
जाति मुसलमान, 3.अकबर पुत्र जुम्मा, जाति तेली  
4.हरजीराम 5.मगाराम पि.गुलाराम जाति जाट  
6.वागसिंह पुत्र नाथूसिंह 7.भूरसिंह 8.सगतसिंह पि.  
सावलसिंह 9.मंगलसिंह पुत्र जवारसिंह जाति  
राजपूत 10.रामाराम 11.दानाराम पुत्र हेदरराम जाति  
भील 12.कुंपसिंह 13.भैरसिंह 14.गिरधरसिंह  
15.भारमलसिंह 16.पुरखसिंह पि. शैलसिंह जाति  
राजपुरोहित, निवासी मले का तला, तहसील  
चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 276/2017

दिनांक : 04.04.2018

## आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठोड़ान के मौजा मले का तला के खेत खसरा सं. 72 रकबा 23.05 बीघा, खसरा सं. 66 रकबा 27.00 बीघा, खसरा सं. 68 रकबा 31.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

मौका कमिशनर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है । कमिशनर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे । नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ 414 to 417

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण मालाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण भारस खां वगैरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड्वा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव )

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक 12/4/18

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन